– पेन आवेदन पेश कर इस्तदुआ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 91/2022

पीठासीन अधिकारी – कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अ.

अनवान :–

बालाराम बनाम केसाराम वगैरा

अधिवक्तागण –

प्रार्थी :–

विप्रार्थीगण :– **श्री हुकमसिंह गोदारा**
एकतरफा

निर्णय

दिनांक :– 05.02.2025

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा तारातरा मठ पटवार हल्का तारातरा तहसील चौहटन में प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 से 14 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं. 242 रकबा 00.03 बीघा एवं खसरा सं. 243 रकबा 123.05 बीघा कुल रकबा 123.08 बीघा के आये हुए है।

प्रार्थी का सही नाम बालाराम पुत्र सोनाराम है लेकिन प्रार्थी के पिता सोना के फौतगी का नामान्तरकरण पारित करते समय राजस्व कर्मचारियों ने त्रुटिवश प्रार्थी का नाम बालाराम के स्थान पर डूंगराराम अंकित कर दिया जबकि स्व. सोनाराम के डूंगराराम नाम का कोई पुत्र नहीं है। प्रार्थी के तमाम सरकारी दस्तावेज, मतदान पहचान पत्र, राशनकार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्कूल रेकर्ड आदि में प्रार्थी का नाम बालाराम ही अंकित है लेकिन राजस्व रेकर्ड में नाम अंकित करते समय प्रार्थी का नाम बालाराम के स्थान पर डूंगराराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम बालाराम ही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.02.24 16:55:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का नाम डूंगराराम नहीं होकर बालाराम है यदि प्रार्थी का नाम डूंगराराम कायम रखा जाता है तो प्रार्थी के खातेदारी हकूकों पर भारी कुठाराघात होगा। इसलिए

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थी अपना नाम दुरस्त करवाने का अधिकारी है। इस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार चौहटन से नाम दुरस्ती की रिपोर्ट मंगवाई गई। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया, अतः विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी के नाम दुरस्ती की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रार्थी का नाम बालाराम पुत्र सोनाराम दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया ।

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम दुरस्त करने का निवेदन किया । बहस पर मन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर मौजा तारातरा मठ पटवार हल्का तारातरा तहसील चौहटन में खसरा सं. 242 रकबा 00.03 बीघा एवं खसरा सं. 243 रकबा 123.05 बीघा कुल रकबा 123.08 बीघा में दर्ज प्रार्थी का नाम डूंगराराम पुत्र सोनाराम के स्थान पर बालाराम पुत्र सोनाराम दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.02.24 16:55:56 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन